न्यायालय मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर), धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, मध्यस्थ अधिकारी (जिला कलक्टर), धौलपुर

विविध प्रार्थना–पत्र (मुकदमा नम्बर) :– 34/2017 (RCMS No.:- 2017/00131)

उनवानी प्रकरण :–

1. परषोत्तम गौड पुत्र श्री कल्यान सिंह जाति गौड निवासी मौहल्ला करौली गेट सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर
2. सुनीता गौड पत्नि पुरूषोत्तम गौड जाति गौड जाति गौड निवासी मौहल्ला करौली गेट सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर
3. राकेश कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल जाति वैश्य निवासी सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर ——————————

प्रार्थीगण।

बनाम्

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 87 गंगा विहार कॉलोनी, रावत पैलेस होटल के पीछे दौसा, जिला दौसा (राज0)
2. सक्षम अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.एम.) बसेड़ी, जिला धौलपुर
3. रघुनाथ प्रसाद पुत्र गोपालदास जाति वैश्य निवासी सरमथुरा तहसील सरमथुरा
4. शशि पत्नि राधारमन जाति वैश्य निवासी सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर
5. आलम पुत्र शमशेर जाति मुसलमान निवासी सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर
6. श्याम पुत्र दाताराम जाति मीना निवासी गोविन्दपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर
7. गंगाराम पुत्र चिरौजी जाति मीना निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर——————————

अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र धारा 3(जी)(5), राष्ट्रीय राजमार्ग अधि01956 खिलाफ आदेश सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति (एस.डी.एम.) बसेडी जिला धौलपुर द्वारा अनुमोदित दिनांक 15.10.2015 स्वीकृत अवार्ड दिनांक 04.12.2015

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से :– श्री रामनिवास मित्तल अभिभाषक
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से :– श्री विजय कुमार मित्तल अभिभाषक
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से:– श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
4. अप्रार्थीगण सं. 3,5 व 7 की ओर से:– श्री सत्यप्रकाश कौशिक अभिभाषक
5. अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से:– श्री सुरेश कटारा अभिभाषक

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

निर्णय दिनांक 28.03.2018

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी (एस.डी.एम.) बसेडी के द्वारा स्वीकृत अवार्ड दिनांक 15.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं, कि:–

1. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा धौलपुर से करौली के राष्ट्रीय राजमार्ग 11बी के लिए भूमि अवाप्ति विज्ञप्ति जारी कर आराजी खसरा नम्बर 613 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 643 रकवा 0.27 है0, 615 रकवा 0.10 है0, 622 रकवा 1.16 है0 बाके ग्राम सरमथुरा तहसील सरमथुरा, जिसके बन्दोबस्त पूर्व खसरा नम्बर 613 का 1975, 614 का 1976/1, 615 का 1974, 622 का 1914 है, को अवाप्त किया।
2. बन्दोवस्त पूर्व खसरा नम्बर 1914 रकवा 4 बीघा 12 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 622 रकवा 1.16 है0 तथा खसरा नम्बर 1975 जिसका हाल खसरा नम्बर 613 है का बाहमी बटवारा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 के मध्य होकर पश्चिम तरफ का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 तथा पूर्व तरफ का हिस्सा प्रार्थीगण के हिस्सा में आया।
3. आराजी खसरा नम्बर 613, 614, 615, 622 के सम्पूर्ण रकवा जो औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण वर्ष 2010 से पूर्व हो चुका था तथा राजस्व अभिलेख में इन्द्राज भी हो गया था। जिसमें गैंगसा यूनिट भूमि अवाप्ति बावत विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व की स्थापित है जो वर्तमान में चल रही है।
4. अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 7 द्वारा बाद बटवारा अपने हिस्सा पश्चिम दिशा को औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराया है तथा प्रार्थीगण के मालिकाना का हिस्सा दिनांक 26.07.2007 को रूपान्तरण हुआ है। जिसे प्रार्थीगण ने क्रय किया है।
5. अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण की औद्योगिक भूमि आराजी खसरा नम्बर 613 मे से 495.618256 वर्गगज, खसरा नम्बर 614 मे से 2407.28867 वर्गगज, 615 मे से 267.90176 वर्गगज, 622 मे से 2150.86842 वर्गगज भूमि को अवाप्त किया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा औद्योगिक भूमि होने के बावजूद कृषि भूमि की दर डीएलसी 2012 के अनुसार मूल्यांकन कर अवार्ड पारित किया है।
6. अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 15.10.2015 एनएचएआई के पत्र दिनांक 24.08.2015, डी.एल.सी.दर तथा नैचुरल जस्टिस के खिलाफ होने के कारण काबिल निरस्ती के है।
7. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो भूमि अवाप्त की है उसमें अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 के हिस्से की कोई भूमि अवाप्त नही की गई है। फिर भी अवार्ड में शामिल कर दिया है।
8. प्रार्थीगण की जो भूमि अवाप्त की गई है वह नेशनल हाइवे 11बी से लगी हुई है।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

9. 11बी से लगी भूमि की वर्ष 2012 की डीएलसी दर आवासीय 1246 रूपये वर्गगज है। तथा डीएलसी के अनुसार औद्योगिक भूमि का मूल्यांकन आवासीय दर का डेढ गुना है।
10. प्रार्थीगण की भूमि का औद्योगिक रूपान्तरण वर्ष 2012 से पूर्व का था तथा प्रार्थी ने औद्योगिक भूमि का ही बयनामा कराया था।
11. प्रार्थीगण को उनकी भूमि का मूल्याकंन औद्योगिक दर से किया जाना था लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कृषि भूमि की दर से मूल्याकंन करके विधिक भूल की है। अतः प्रार्थीगण की भूमि जो आराजी खसरा नम्बर 613 में से 495.618256 वर्गगज, खसरा नम्बर 614 में से 2407.28867 वर्गगज, 615 में से 267.90176 वर्गगज, 622 मे से 2150.86842 वर्गगज बाके ग्राम सरमथुरा को अवाप्त किया है। मूल्यांकत औद्योगिक भूमि की डीएलसी दर 2012 आवासीय 1246/– रूपया प्रति वर्गगज का डेढ गुना के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जावे।
12. प्रार्थीगण की भूमि जिसे अवाप्त किया है वह औद्योगिक क्षेत्र रीको से 30 किमी से अधिक दूर है। आवासीय दर 2012 की डीएलसी के अनुसार 1246/– रूपये वर्गगज है जिसका डेढ गुना 1869/– रूपये प्रति वर्गगज से राशि देय थी जो नही देकर कानूनी भूल की है।
13. अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि अवाप्ति अधिकारी को अवार्ड राशि के मूल्यांकन वास्ते एक पत्र क्रमांक NHAI/11013/DMG(LA&Coors.)/2015/FTS-417/70689 Dated 24.08.2015 भूमि अवाप्ति अवार्ड का मूल्यांकन निम्नानुसार किए जाने बावत जारी किये –

    (1) The Collector (in case of NH Act, CaLa instead of Collctor) shall adopt the following criteria in assessing and determining the market value of the land, namely,:

    (a) the market value, if any, specified in the Indian Stamp Act. 1899 (2 of 1899) for the registration of sale deeds or agreements to sell as the may be, in the area. Where the land is situated, or

    (b) the average sale price for similar type of land situated in the nearest village or nearest vicinity area, Whichever is higher.
14. प्रार्थीगण की भूमि जो औद्योगिक राजस्व अभिलेख के अनुसार है तथा अवार्ड कृषि भूमि का दिया है उसे धौलपुर जिला की डी.एल.सी. दर के अनुसार आवासीय दर 1246 रूपये का डेढ गुना 1869/– रूपये प्रति वर्गगज से नही देकर गलत तरीके से कृषि भूमि की दर से मूल्याकंन अवार्ड स्वीकृत किया है जो कतई गलत है क्योकि औद्योगिक भूमि की बाजार दर आवासीय की डेढ गुना 1869/– रूपये प्रति वर्गगज डी.एल.सी. धौलपुर जिला की मीटिंग दिनांक 22.09.2012 से प्रभावी है से देय था ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण की भूमि का मूल्यांकन आवासीय तथा औद्यौगिक होने के कारण तदनुसार पुनः अवार्ड का निर्धारण किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को निर्देश दिया जावे।
15. जिस भूमि को अवाप्त किया गया है वह प्रार्थीगण की भूमि है अतः अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 7 का नाम अवार्ड राशि में से तर्क किये जाने के आदेश दिये जावे।
16. प्रार्थी ने पूर्व में धारा 64 सेन्ट्रल एक्ट संख्या 30/2013 के अधीन पेश किया गयाथा जिसे ओदश 23 नियम 1 सीपीसी के तहत वापिस लेकर पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर औद्योगिक दर से अवार्ड आदेश

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

जारी कर अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 के नाम अवार्ड से तर्क किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री विजय कुमार मित्तल अभिभाषक उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण संख्या 3, 5 व 7 की ओर से श्री सत्यप्रकाश कौशिक अभिभाषक उपस्थित हुए, अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से श्री सुरेश कटारा अभिभाषक उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 04 की तलबी हेतु जारी रजिस्टर्ड नोटिस एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने पश्चात् भी प्राप्त नही होने पर दिनांक 23.10.2017 को अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय से टिप्पणी प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि :–

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानो के तहत गठित एक निकाय है जिसको कि राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास, प्रबन्ध एंव रख रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तथा प्राधिकरण का यह सतत प्रयास है कि वह जनसाधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राजमार्ग उपलब्ध कराये।
2. सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11बी के 107/900 कि.मी. से 140/500 कि.मी. (करौली–धौलपुर सैक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण आदि, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचारन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड(क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 2 उपखण्डाधिकारी बसेडी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 (अ) की उपधारा (1) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28.12.2012 जिसका प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका में दिनांक 02.03.2013 और दैनिक भास्कर में दिनाक 01.03.13 को किया, जिसके द्वारा भूमि का अर्जन किया गया।
3. उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3सी के अन्तर्गत आपत्तियाँ प्रस्तुत की

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

गई उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा आपत्तियों को सुनने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 22.11.2013 को जारी किया गया, जिसके पश्चात् समस्त अधिग्रहीत भूमि जिसमें कि भूमि खसरा नम्बर 613,614,615, एंव 622 की क्रमशः 0.04144है0, 0.20128है0, 0.0224है0 एंव 0.17984है0 भूमि ग्राम सरमथुरा जिला धौलपुर सम्मिलित है, जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है।

4. प्रस्तुत प्रकरण में अधिग्रहित उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) एवं धारा 3 (डी) के अन्तर्गत जो उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई उसके द्वारा खसरा नम्बर 613,614,615, एंव 622 की क्रमशः 0.04144है0, 0.20128है0, 0.0224है0 एंव 0.17984है0 भूमि ग्राम सरमथुरा जिला धौलपुर अवाप्त की गई।
5. धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है, जिसमें प्रार्थी की भूमि भी सम्मलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
6. यह कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत, अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 613,614,615, एंव 622 की क्रमशः 0.04144है0, 0.20128है0, 0.0224है0 एंव 0.17984है0 भूमि ग्राम सरमथुरा जिला धौलपुर का मूल्य एवम् निर्माण का मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी(7) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उपपंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर की गई। अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित संरचनओ/निर्माण कार्यो का मुआवजा स्वतं कन्सलटेन्ट/सार्वजनिक निर्माण के इंजीनियर्स से प्राप्त सर्वे के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल आफॅ रेट(बी.एस.आर.) के अनुसार मूल्यांकन कराया गया जो कि पूर्णतः सही व उचित है।
7. कृषि भूमि से आवासीय/औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित ऐसी भूमियां जो अधिसूचना दिनांक को अथवा इससे पूर्व रूपान्तरित हो चुकी हैं उनके मुआवजा राशि का भुगतान राजस्व रिकॉर्ड, राजस्व नक्शे, रूपान्तरण आदेश के संलग्न नक्शे/ब्लू प्रिन्ट व मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार दिया गया है। कृषि भूमि से संपरिवर्तित भूमि के प्रकरणो में नियमानुसार सडक के मध्य बिन्दु से संपरिवर्तित भू–भाग के बीच में आने वाली भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया जाना आवश्यक है, ऐसे प्रकरण जिनमें यह भू–भाग समर्पण नही हुआ है उसका मूल्यांकन कृषि भूमि की दर से किया गया है।
8. भूमि के निर्धारण मूल्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी के उपनियम 2 के प्रावधान अनुसार भूमि की देय कीमत पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एंव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार आदेश 2015 के तहत 100 प्रतिशत वृद्धि समान रूप से प्रत्येक मुआवजे में अंकित की गई है। 0 से 15 किमी हेतु गुणक 1.25, 15 से30 किमी हेतु गुणक 1.50 व 30 किमी से अधिक हेतु गुणक 1.75 के आधार पर भूमि की कीमत की गणना की गई है। अवार्ड में 12 प्रतिशत की दर के अतिरिक्त राशि निर्धारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार 3ए की अधिसूचना के समाचार पत्रो में प्रकाशन की तिथि से गणना की गई है।

9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी)2 व 7 की उपधारा 2 व 7 में मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु उदृत हैं:–

3(G)(2) Where the right of use or any right of user or any right in the nature of an easement on, any land is acquired under this act, there shall be paid an amount to their owner and any other person whose right of enjoyment in that land has been affected in any manner whatsoever by reason or such acquisition an amount calculated at ten percent of the amount determined under sub-section (1) for the land.

3(G)(7) The competent authority or he arbitrator while determining the amount under sub-section (1) or sub-section (5), as the case may be, shall take into consideration.

(e) The market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A

(f) The damage, if any, sustained bye person interested at the time of taking possessions of the land, by reason of the severing of such land from other land,

(g) The damage, if any, sustained by person interested at the time of taking possessions of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings.

(h) If, any consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the place of business, the reasonable expenses, if reasonable expenses, if any incidental to such change,"

उक्त बिन्दुओ के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 3ए की अधिसूचना के दिनांक को बाजार मूल्य के संबध में तहसील क्षेत्र बसेडी जिला धौलपुर की अवाप्ताधीन भूमि के संबध में उप पंजीयक अधिकारी की डीएलसी दर के आधार पर मुआवजा निर्धारण किया गया। अधिकारिक रूप से डी0एल0सी0 दर ही बाजार मूल्य मानी जाती है। अवाप्तशुदा भूमि के निर्धारित मूल्य में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(2) के प्रावधान अनुसार भूमि की देय कीमत पर भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम 2013 एंव भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितका का अधिकार अधिनियम (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश 2015 के तहत 100 प्रतिशत वृद्धि मुआवजे में अंकन किया गया।

10. सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि की कीमत का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अन्तर्गत उप पंजीयक से अधिसूचना अन्तर्गत धारा

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

3ए की दिनांक मार्केट वैल्यू (डी.एल.सी.) मंगवाई गई जिससे मुआवजा निर्धारित किया गया है जो कि विधि के प्रावधानो के अन्तर्गत सही व उचित है।

11. भूमि का अर्जन निकाय द्वारा लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु किया गया है। लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिससे अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा दुर्घटनाओ से बचा जा सके। आवागमन सुगम एंव सुरक्षित हो। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि की जो मुआवजा राशि निर्धारित की गई है वह पूर्णतः विधि के प्रावधानो के अन्तर्गत ही निर्धारित की गई है। प्रार्थीगण इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। व प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

12. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त शुदा भूमि खसरा नम्बर 613 की 0.4144है0 किस्म बारानी–दो, खसरा नम्बर 614 की 0.20128 है0 किस्म बारानी–तीन, खसरा नम्बर 615 की 0.0224है0 किस्म बारानी–दो, खसरा नम्बर 622 की 0.17984 है0 किस्म बारानी–एक ग्राम सरमथुरा जिला धौलपुर में स्थित प्रार्थीगण एंव अन्य सहखातेदारान की अवाप्तशुदा भूमि की निर्धारित डी.एल.सी. के मुताबिक मुआवजा राशि निर्धारित की गई।

13. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए एंव धारा 3डी के अन्तर्गत जो अधिसूचना जारी की गई उसके द्वारा खसरा नम्बर 613,614,615, एंव 622 की क्रमशः 0.04144है0, 0.20128है0, 0.0224है0 एंव 0.17984है0 भूमि ग्राम सरमथुरा जिला धौलपुर अवाप्त की गई है। जिसका मुआवजा खातेदार/हितबद्ध को भूमि की किस्म की डी.एल.सी. दर के आधार पर कर दिया गया।

14. प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार से पूर्णतया बाहर है क्योकि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में स्वामित्व का प्रश्न उठाया है जिसे निर्णीत करने का न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। विधि के प्रावधानानुसार न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में निर्णय पारित कर सकती है इसके अतिरिक्त अन्य कोई बिन्दु को सुनने व तय करने का न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नही है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

15. प्रार्थीगण की अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी(7) में दिये गये निर्देशो की पालना में एंव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एंव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम(कठिनाईयो को दूर करना) आदेश 2015 के अनुसार अवाप्त की गई है। भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, राउक सीमा केपास या दूर, उपपंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर मुआवजा राशि निर्धारित की गई। प्रार्थीगण किसी भी आधार पर जिस दर से मुआवजा दिया गया उसके अलावा अन्य किसी दर से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

16. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जो अवार्ड पारित

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

किया गया था, वह सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया था।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण को मुताबिक 3डी में अंकित भूमि का मुआवजा, उपपंजीयक सरमथुरा की दिनांक 22.09.2012 को प्रचलित बाजार भाव से भुगतान किया गया है क्योकि प्रार्थीगण द्वारा 3डी जारी होने के दौरान इस न्यायालय में कोई परिवेदना इस आशय की प्रस्तुत नही होने के कारण नियमानुसार अवार्ड जारी किया गया है। अवार्ड भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानो के तहत तैयार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी 5 एनएचएआई एक्ट के तहत काबिल खारिजी है।

अप्रार्थीगण संख्या 3,5 व 7 को जवाब पेश करने हेतु 10 अवसर प्रदान किये गये किन्तु उनके द्वारा जवाब पेश नही किया गया। अतः अप्रार्थी संख्या 03.05.7 के का जवाब बन्द किया गया।

अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :–

1. प्रकरण में अधिग्रहीत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए, धारा 3 डी के अन्तर्गत जो अधिसूचना जारी की गई उसके द्वारा खसरा नम्बर 613 की 0.04244 है0, 614 की 0.20128 है0, 615 की 0.0224 है0, 622 की 0.17984 है0 भूमि वाके ग्राम सरमथुरा जिला धौलपुर अवाप्त की गई।

2. आराजी खसरा नम्बर 1914 मि0 रकवा 1 बीघा 1975 मि0 रकवा 10 विस्वा, 1976 मि. रकवा 1 विस्वा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.03.2008 को उमराय पुत्र फत्ते मौहम्मद, मेहबूब पुत्र हबीब खां के वारिसान मु0 खातून बेवा उमराय, कल्लू, रफ़फो पि0 उमराय तुलसी पुत्री उमराय 1/2 भाग, शहनाज बेवा मेहमूद, संजय उर्फ सकील, नौशाद, कुरशाद पि0 मेहमूद , सितारा, भूरी, साजना, गुडिया वालिग, रूकसान पि. मेहमूद 1/2 भाग जाति मुसलमान से रघुनाथ प्रसाद पि0 गोपाल प्रसाद, शशी पत्नि राधारमन कौम वैश्य, आलम खां पुत्र शमशेर जाति मुसलमान साकिन देह श्याम पुत्र दाताराम कौम मीना निवासी गोविन्दपुरा ने क्रय किया व कब्जा प्राप्त किया। नामान्तरण सं0 205 ग्राम सरमथुरा स्वीकार किया गया। राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया।

3. बन्दोवस्त पूर्व गत खसरा नम्बर 1914 रकवा 1 बीघा 19 विस्वा, 1975 रकवा 10 विस्वा, 1976 रकवा 1 विस्वा में से खसरा नम्बर 1976 रकवा 1 विस्वा छोडकर 6180 वर्गमीटर जो औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु भूमि रूपान्तरण सक्षम अधिकारी से कराया था जिसने अप्रार्थी संख्या 6 , 1/4 भाग का मालिक थे। मौके पर काबिज थे।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

4. बन्दोवस्त विभाग ने गत खसरा नम्बर 1914 रकवा 4 वीघा 12 विस्वा का हाल नम्बर 622 रकवा 1.16 है0 तथा ख.नं. 1975 रकवा 19 विस्वा का हाल ख.न. 613 रकवा 13 विस्वा वाके ग्राम सरमथुरा तहसील धौलपुर कायम किया। आ0ख0नं0 2877/613 रकवा 0.13 है0 , 2880 रकवा 0.02 है., 2883/622 रकवा 0.64 है0का रघुनाथ प्रसाद पुत्र गोपालदास, शशी पत्नि राधारमन जाति वैश्य आलम पुत्र शमशेर कौम मुसलमान साकिन देह, श्याम पुत्र दाताराम कौम मीना निवासी गोविन्दपुरा को व हिस्सा बराबर खातेदार राजस्व अभिलेख में किया गया।

5. अप्रार्थी संख्या 6 श्याम मीणा ने अपना हिस्सा खसरा नम्बर 1914/1 रकवा 1 वीघा 19 विस्वा, आ.ख.नं. 1975/1 रकवा 10 विस्वा आ.ख.नं. 1976 में से 6180 वर्गमीटर जो औद्योगिक क्षेत्र में रूपान्तरित है। जिसमें से 1/4 भाग 1545 वर्गमीटर हिस्सा पश्चिम दिशा की ओर दिनांक 02.09.2009 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा श्रीमती ललिता जिन्दल पत्नि श्यामसुन्दर जिन्दल जाति वैश्य निवासी मौहल्ला सेठ गली सरमथुरा जिला धौलपुर को विक्रय कर दिया और मौके पर दखल कर दिया। जिसकी दक्षिण दिशा में सडक सरमथुरा से करौली है।

6. भूमि अवाप्ति में क्रेता श्रीमती ललिता जिन्दल का हिस्सा है क्योकि श्याम मीणा विक्रेता के स्थान क्रेता श्रीमती ललिता जिन्दल प्रतिस्थापित है और श्रीमती ललिता जिन्दल हिस्सा अवार्ड में प्राप्त करने की अधिकारी है तथा सडक में भूमि अवाप्त की गई है।

7. श्रीमती जिन्दल ने औद्योगिक भू–खण्ड का बयनामा कराया था तथा औद्योगिक दर से ही अवार्ड प्राप्त करने की अधिकारी है। सक्षम अधिकारी द्वारा अवार्ड कम दिया है तथा औद्योगिक क्षेत्र का मूल्याकंन कम है।

8. अतः पुनः जांच हेतु सक्षम अधिकारी उपखण्डाधिकारी बसेडी को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदानकर विधिवत् अवार्ड पारित किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल अवार्ड अधिनिर्णय तिथि 15.10.2015, छायाप्रति सपरिवर्तन आदेश लखनलाल, राकेश कुमार दिनांक 26.06.2007, फोटो मौका, छायाप्रति बयनामा विक्रेता लखनलाल क्रेता परषोत्तम गौड, छायाप्रति बयनामा विक्रेता अनीता मंगल क्रेता सुनीता गौड, छायाप्रति बयनामा गंगाराम बहक अनीता मंगल, छायाप्रति डिमाण्ड नोटिस बिद्युत विभाग, जयपुर डिस्काम बाडी अनीता मंगल, छायाप्रति विधुत बिल श्रीमती अनीता मंगल, सडक परिवहन एंव राजमार्ग मन्त्रालय के पत्र दिनांक 31.03.2016 की छायाप्रति, एनएचएआई के पत्रांक 87253 दिनाक 22.08.16 की छायाप्रति एंव प्रार्थी श्री परषोत्तम गौड का शपथ पत्र मुख्य परीक्षा गबाह हेतु पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जबाव के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी टिप्पणी के साथ कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही की।

अप्रार्थी संख्या 06 ने अपने जवाब के समर्थन में बयनामा श्याम मीणा बहक श्रीमती ललिता जिन्दल दिनांक 31.08.2009 की छायाप्रति पेश की

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि :–

1. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा धौलपुर से करौली के राष्ट्रीय राजमार्ग 11बी के लिए भूमि अवाप्ति विज्ञप्ति जारी कर आराजी खसरा नम्बर 613 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 643 रकवा 0.27 है0, 615 रकवा 0.10 है0, 622 रकवा 1.16 है0 बाके ग्राम सरमथुरा तहसील सरमथुरा, जिसके बन्दोबस्त पूर्व खसरा नम्बर 613 का 1975, 614 का 1976/1, 615 का 1974, 622 का 1914 है, को अवाप्त किया।
2. बन्दोवस्त पूर्व खसरा नम्बर 1914 रकवा 4 बीघा 12 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 622 रकवा 1.16 है0 तथा खसरा नम्बर 1975 जिसका हाल खसरा नम्बर 613 है का बाहमी बटवारा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 के मध्य होकर पश्चिम तरफ का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 तथा पूर्व तरफ का हिस्सा प्रार्थीगण के हिस्सा में आया।
3. आराजी खसरा नम्बर 613, 614, 615, 622 के सम्पूर्ण रकवा जो औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण वर्ष 2010 से पूर्व हो चुका था तथा राजस्व अभिलेख में इन्द्राज भी हो गया था।
4. अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 7 द्वारा बाद बटवारा अपने हिस्सा पश्चिम दिशा को औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराया तथा प्रार्थीगण के मालिकाना हिस्सा दिनांक 26.07.2007 को रूपान्तरण हुआ है।
5. अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण की औद्योगिक भूमि आराजी खसरा नम्बर 613 मे से 495.618256 वर्गगज, खसरा नम्बर 614 मे से 2407.28867 वर्गगज, 615 मे से 267.90176 वर्गगज, 622 मे से 2150.86842 वर्गगज भूमि को अवाप्त किया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा औद्योगिक भूमि होने के बावजूद कृषि भूमि की दर डीएलसी 2012 के अनुसार मूल्यांकन कर अवार्ड पारित किया है।
6. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो भूमि अवाप्त की है उसमें अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 के हिस्से की कोई भूमि अवाप्त नही की गई है। फिर भी अवार्ड में शामिल कर दिया है। प्रार्थीगण की जो भूमि अवाप्त की गई है वह नेशनल हाइवे 11बी से लगी हुई है।
7. वर्ष 2012 की एनएच–11बी से लगी भूमि की डीएलसी दर आवासीय 1246 रूपये वर्गगज है। तथा डीएलसी के अनुसार औद्योगिक भूमि का मूल्यांकन आवासीय दर का डेढ गुना है।
8. प्रार्थीगण को उनकी भूमि का मूल्याकंन औद्योगिक दर से किया जाना था लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कृषि भूमि की दर से मूल्याकंन करके विधिक भूल की है। अतः प्रार्थीगण की भूमि जो आराजी खसरा नम्बर 613 में से 495.618256

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

वर्गगज, खसरा नम्बर 614 में से 2407.28867 वर्गगज, 615 में से 267.90176 वर्गगज, 622 मे से 2150.86842 वर्गगज बाके ग्राम सरमथुरा को अवाप्त किया है।

9. प्रार्थीगण की भूमि जो औद्योगिक राजस्व अभिलेख के अनुसार है तथा अवार्ड कृषि भूमि का दिया है उसे धौलपुर जिला की डी.एल.सी. दर के अनुसार आवासीय दर 1246 रूपये का डेढ गुना 1869/– रूपये प्रति वर्गगज से नही देकर गलत तरीके से कृषि भूमि की दर से मूल्याकंन अवार्ड स्वीकृत किया है जो कतई गलत है क्योकि औद्योगिक भूमि की बाजार दर आवासीय की डेढ गुना 1869/– रूपये प्रति वर्गगज है से देय था ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण की भूमि का मूल्यांकन आवासीय तथा औद्यौगिक होने के कारण तदनुसार पुनः अवार्ड का निर्धारण किये जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को निर्देश दिया जावे।
10. जिस भूमि को अवाप्त किया गया है वह प्रार्थीगण की भूमि है अतः अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 7 का नाम अवार्ड राशि में से तर्क किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश करते हुए मौखिक बहस में कथन किया कि:–

1. उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियॉ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
2. प्रस्तुत प्रकरण में अधिग्रहित उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) एवं धारा 3 (डी) के अन्तर्गत जो उपरोक्त अधिसूचना जारी की गई उसके द्वारा खसरा नम्बर 613,614,615, एंव 622 की क्रमशः 0.04144है0, 0.20128है0, 0.0224है0 एंव 0.17984है0 भूमि ग्राम सरमथुरा जिला धौलपुर अवाप्त की गई।
3. धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है, जिसमें प्रार्थी की भूमि भी सम्मलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
4. यह कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत, अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर 613,614,615, एंव 622 की क्रमशः 0.04144है0, 0.20128है0, 0.0224है0 एंव 0.17984है0 भूमि ग्राम सरमथुरा जिला धौलपुर का मूल्य एवम् निर्माण का मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जी(7) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उपपंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर की गई। अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित संरचनओ/निर्माण कार्यो का मुआवजा स्वतं

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

कन्सलटेन्ट/सार्वजनिक निर्माण के इंजीनियर्स से प्राप्त सर्वे के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल आफॅ रेट(बी.एस.आर.) के अनुसार मूल्यांकन कराया गया जो कि पूर्णतः सही व उचित है।

5. कृषि भूमि से आवासीय/औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित ऐसी भूमियां जो अधिसूचना दिनांक को अथवा इससे पूर्व रूपान्तरित हो चुकी हैं उनके मुआवजा राशि का भुगतान राजस्व रिकॉर्ड, राजस्व नक्शे, रूपान्तरण आदेश के संलग्न नक्शे/ब्लू प्रिन्ट व मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार दिया गया है। कृषि भूमि से संपरिवर्तित भूमि के प्रकरणो में नियमानुसार सडक के मध्य बिन्दु से संपरिवर्तित भू–भाग के बीच में आने वाली भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण किया जाना आवश्यक है, ऐसे प्रकरण जिनमें यह भू–भाग समर्पण नही हुआ है उसका मूल्यांकन कृषि भूमि की दर से किया गया है।
6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि की कीमत का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अन्तर्गत उप पंजीयक से अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3ए की दिनांक मार्केट वैल्यू (डी.एल.सी.) मंगवाई गई जिससे मुआवजा निर्धारित किया गया है जो कि विधि के प्रावधानो के अन्तर्गत सही व उचित है।
7. प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार से पूर्णतया बाहर है क्योकि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में स्वामित्व का प्रश्न उठाया है जिसे निर्णीत करने का न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। विधि के प्रावधानानुसार न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में निर्णय पारित कर सकती है इसके अतिरिक्त अन्य कोई बिन्दु को सुनने व तय करने का न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नही है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
8. अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाने की कृपा करें। प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जो अवार्ड पारित किया गया था, वह सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही पारित किया गया था।

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि:–

1. प्रार्थी की भूमि अवाप्ति से सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाऐं विधिवत कानून अनुसार सम्पन्न की गई है। प्रार्थीगण को सुनवाई का विधिवत पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।
2. प्रार्थीगण को भूमि का मुआवजा, उपपंजीयक सरमथुरा की दिनांक 22.09.2012 को प्रचलित बाजार भाव से भुगतान किया गया है।
3. अधिनियम के तहत 3 डी की कार्यवाही होने के दौरान प्रार्थीगण द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई परिवेदना प्रस्तुत नही की गई।
4. अवार्ड भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानो के तहत तैयार किया गया है।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

5. प्रार्थीगण को औद्योगिक भूमि का मुआवजा उपपंजीयक सरमथुरा की दिनांक 22.09.2012 को प्रचलित बाजार भाव 1246–रूपये प्रति वर्गगज तथा अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडी द्वारा निर्माण राशि के आंकलन के हिसाब से भुगतान किया गया है जो अवार्ड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानो के तहत तैयार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 28,29,30 सपठित THE FIRST SCHEDULE के मुताबि अवार्ड राशि का नियमानुसार भुगतान किया गया।
6. अवार्ड की समस्त प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित है जो प्रारम्भ से अन्त तक विधिक रूप से सम्पादित की गई है एवं आपत्तिकर्ताओं को विधिवित सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है तथा अवार्ड निर्णय में विधिक रूप से समस्त तथ्यों को समाहित कर विस्तृत निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

अप्रार्थीगण संख्या 3, 5 व 7 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का यह कथन सत्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11बी के चौडीकरण हेतु आराजी खसरा नम्बर 1914 रकवा 4 बीघा 12 विस्वा जिसका हाल नम्बर 622 रकवा 1.16 है0 तथा आराजी खसरा नम्बर 1975 जिसका हाल खसरा नम्बर 613 है, का बाहमी बटवारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 7 के मध्य हुआ था। किन्तु यह कहना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो भूमि अवाप्त की गई है। उसमें अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 के हिस्से की कोई भी भूमि अवाप्त नही की गई क्योकि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 15.10.2015 में अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 7 के नाम स्पष्ट है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 06 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि:–

1. आराजी खसरा नम्बर 1914 मि0 रकवा 1 बीघा 1975 मि0 रकवा 10 विस्वा, 1976 मि. रकवा 1 विस्वा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.03.2008 को उमराय पुत्र फत्ते मौहम्मद, मेहबूब पुत्र हबीब खां के वारिसान मु0 खातून बेवा उमराय, कल्लू, रफ़फो पि0 उमराय तुलसी पुत्री उमराय 1/2 भाग, शहनाज वेवा मेहमूद, संजय उर्फ सकील, नौशाद, कुरशाद पि0 मेहमूद , सितारा, भूरी, साजना, गुडिया वालिग, रूकसान पि. मेहमूद 1/2 भाग जाति मुसलमान से रघुनाथ प्रसाद पि0 गोपाल प्रसाद, शशी पत्नि राधारमन कौम वैश्य, आलम खां पुत्र शमशेर जाति मुसलमान साकिन देह श्याम पुत्र दाताराम कौम मीना निवासी गोविन्दपुरा ने क्रय किया व कब्जा प्राप्त किया। नामान्तरण सं0 205 ग्राम सरमथुरा स्वीकार किया गया। राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया।
2. अप्रार्थी संख्या 6 श्याम मीणा ने अपना हिस्सा खसरा नम्बर 1914/1 रकवा 1 वीघा 19 विस्वा, आ.ख.नं. 1975/1 रकवा 10 विस्वा आ.ख.नं. 1976 में से 6180 वर्गमीटर जो औद्योगिक क्षेत्र में रूपान्तरित है। जिसमें से 1/4 भाग 1545 वर्गमीटर हिस्सा पश्चिम दिशा की ओर दिनांक 02.09.2009 को जरिये रजिस्टर्ड

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

बयनामा श्रीमती ललिता जिन्दल पत्नि श्यामसुन्दर जिन्दल जाति वैश्य निवासी मौहल्ला सेठ गली सरमथुरा जिला धौलपुर को विक्रय कर दिया और मौके पर दखल कर दिया। जिसकी दक्षिण दिशा में सडक सरमथुरा से करौली है।

3. भूमि अवाप्ति में क्रेता श्रीमती ललिता जिन्दल का हिस्सा है क्योकि श्याम मीणा विक्रेता के स्थान क्रेता श्रीमती ललिता जिन्दल प्रतिस्थापित है और श्रीमती ललिता जिन्दल हिस्सा अवार्ड में प्राप्त करने की अधिकारी है तथा सडक में भूमि अवाप्त की गई है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनने एवं लिखित बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा धौलपुर से करौली के राष्ट्रीय राजमार्ग 11बी के लिए भूमि अवाप्ति विज्ञप्ति जारी कर आराजी खसरा नम्बर 613 रकवा 0.24 हैक्टेयर, 643 रकवा 0.27 है0, 615 रकवा 0.10 है0, 622 रकवा 1.16 है0 बाके ग्राम सरमथुरा तहसील सरमथुरा, जिसके बन्दोबस्त पूर्व खसरा नम्बर 613 का 1975, 614 का 1976/1, 615 का 1974, 622 का 1914 है, को अवाप्त किया।
2. प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नही है कि प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 613, 614, 615, 622 के सम्पूर्ण रकवा जो औद्योगिक है जिसका रूपान्तरण वर्ष 2010 से पूर्व हो चुका था। तथा राजस्व अभिलेख में इन्द्राज भी हो रहा है। गैंगसा यूनिट उसी समय से लगी है। प्रार्थीगण द्वारा जो गैंगसा यूनिट के फोटो बतौर साक्ष्य पेश किये है उनसे यह स्पष्ट नही होता कि उक्त फोटो किस खसरा नम्बर के है तथा किस स्थान के है। फोटो किसी भी सक्षम स्तर से प्रमाणित नही है।
3. प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अवाप्त शुदा भूमि का औद्योगिक दर, आवासीय दर का डेढ गुना मुआवजा डी.एल.सी. की दरो में होना अवगत कराया है किन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थिया के अभिभाषक ने डी.एल.सी. की दर प्रस्तुत नही की है।
4. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का कथन उचित है कि अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियॉ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नही की गई।
5. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का यह कथन सत्य है कि धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है, जिसमें प्रार्थीगण की भूमि भी सम्मलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

6. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से सहमत है कि अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित संरचनाओ/निर्माण कार्यो का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटेन्ट/सावर्जजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स से प्राप्त सर्वे के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट (बी.एस.आर.) के अनुसार मूल्याकंन कराया गया जो कि पूर्णतः उचित व सही है।
7. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि की कीमत का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अन्तर्गत उपपंजीयक से अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3 ए की दिनांक की मार्केट वेल्यू (डी.एल.सी. की वैल्यू) मंगवाई गई थी, जो कि उप पंजीयक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को भेजी गई थी व उप पंजीयक द्वारा भूमि की जो दर राष्ट्रीय राजमार्ग/स्टेट हाईवे/अन्य मुख्य सडक एवं सडक से दूरी तक के सन्दर्भ में जो भूमि की कीमत भूमि की किस्म के अनुसार दी गई थी, उसे ही अवाप्तशुदा भूमि की कीमत माने जाने का निर्णय लिया जाकर भूमि का मुआवजा निर्धारित किया गया है, जो कि विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत सही व उचित किया गया है। उप पंजीयक द्वारा जिस ग्राम की जो दर दी गई थी। उसी के अनुसार उस गांव की भूमि की दर निर्धारित की गई है।
8. अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान पैरोकार सरकार ने कथन से हम सहमत है कि प्रार्थीगण को औद्योगिक भूमि का मुआवजा उपपंजीयक सरमथुरा की दिनांक 22.09.2012 को प्रचलित बाजार भाव 1246–रूपये प्रति वर्गगज तथा अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बाडी द्वारा निर्माण राशि के आंकलन के हिसाब से भुगतान किया गया है जो अवार्ड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानो के तहत तैयार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 28,29,30 सपठित THE FIRST SCHEDULE के मुताबि अवार्ड राशि का नियमानुसार भुगतान किया गया।
9. अप्रार्थी संख्या 06 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 06 ने अपने हिस्से की आराजी में से 1/4 हिस्सा दिनांक 02.09.2009 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा ललिता जिन्दल पत्नि श्यामसुन्दर जिन्दल जाति वैश्य निवासी सेठ गली सरमथुरा को विक्रय कर दिया। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 06 के अभिभाषक द्वारा मुआवजा राशि ललिता जिन्दल को किये जाने का निवेदन किया। इस बिन्दु से हम सहमत नही है। क्योकि इस बिन्दु के निर्धारण हेतु मध्यस्थता अधिकारी, सक्षम नही है।
10. प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 7 के हस्से की कोई भूमि अवाप्त नही की गई है फिर भी अवार्ड में शामिल कर लिया गया है। जिस भूमि को अवाप्त किया गया है। वह प्रार्थीगण की भूमि है अतः अप्रार्थीगण संख्या 03 लगायत 07 का नाम अवार्ड राशि में से तर्क किये जाने के आदेश दिये जावे। इस बिन्दु के निर्धारण हेतु मध्यस्थता अधिकारी, सक्षम नही है।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाने योग्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। सक्षम अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
सध्यस्थ अधिकारी
(जिला कलक्टर), धौलपुर